संसद के समक्ष अभिभाषण — 20 फरवरी 1997

लोक सभा	-	ग्यारहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री एच.डी. देवगौड़ा
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री पी.ए. संगमा

माननीय सदस्यगण,

मुझे, वर्ष 1997 में संसद के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं नए सदस्यों को बधाई देता हूं, और आगामी बजट एवं विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के पश्चात्, मैं संसद को पहली बार संबोधित कर रहा हूं। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता, सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है। हमारे समाज और जनता की अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यह एक माध्यम है। इसमें हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा गरीबी एवं अज्ञानता दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने से संबंधित विशिष्ट नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लेख है। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं आधारित संरचना के लिए प्रचुर निवेश जुटाकर त्वरित आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया है।

इस प्रकार इस कार्यक्रम में एक ओर आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर समानता एवं अनुपाती न्याय के प्रति चिंता का उचित संतुलन दिखाई देता है। सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

हमारी लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मिली-जुली सरकारें स्थिर हो सकती हैं, तथा वे सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारे संविधान की ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें संघ और राज्यों के संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। सरकार बिना किसी भेद-भाव के संवैधानिक उपबंधों का आदर करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान राज्यों के साथ मिल-जुल कर करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने तथा अपने विचार-विमर्श को संघ एवं राज्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाने में अपना सहयोग देंगे।

सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद्, राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं योजना आयोग को गतिशील बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और समय-समय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद् ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए मान लीं। सरकारिया आयोग की शेष सिफारिशें, विशेषकर राज्यों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करने और संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित परिवर्तन करने की समीक्षा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् ने अपनी एक स्थायी समिति गठित की। मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तथा विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में बनी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करना तथा विद्युत के क्षेत्र में सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपनाया जाना संभव हुआ है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने में बहुत कम समय लिया, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् की 16 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। सहयोग की यह भावना नौवीं पंचवर्षीय योजना को समय पर शुरू करने में महत्वपूर्ण होगी।

पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अभीष्ट संरचना प्रदान करती है। सरकार इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और विधियां हस्तांतरित करना चाहती है। संसद द्वारा उसके पिछले सत्र के दौरान भाग-IX को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू किए जाने के कानून को पारित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना रही, जो इस प्रतिबद्धता को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

सार्वजनिक जीवन में सभी लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और आचरण लोकतंत्र के आधार हैं। सरकार ने प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन पर राष्ट्रीय बहस शुरू की है। सरकार इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभिमतों पर विचार करने के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों के शीघ्र होने वाले सम्मेलन के समक्ष एक कार्य-योजना प्रस्तुत करना

चाहती है। सरकार सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है, तथा इस बुराई को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु कटिबद्ध है। लोकपाल विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है, और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 को पारित किए जाने के साथ चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की शुरूआत की गई है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके अधिक व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये विघटनकारी ताकतें देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह पनपती हैं। सरकार इन ताकतों के प्रति पूरी तरह सजग है। उसने इन चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला किया है। आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने तथा कल्याण एवं विकास के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के सफलतापूर्वक होने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित किए जाने से वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में काफी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान विशेष आर्थिक उपायों की घोषणा की थी, जिनके कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गुटों की गतिविधियां निरन्तर चिंता का कारण बनी हुई हैं। ये लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे दुर्गम क्षेत्रों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापक राजनीतिक पहल की है। सरकार इस स्थिति के समाधान के लिए एक बहुआयामी नीति बनाकर प्रभावी कदम भी उठा रही है। इन कदमों में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से पिछले अक्तूबर में अनेक उपायों की घोषणा की गई थी। आधारिक संरचना विकास और बुनियादी सेवाओं के बारे में एक उच्चस्तरीय आयोग तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के संबंध में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

पंजाब में स्थानीय शासन संस्थाओं और राज्य विधान सभा के चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना राज्य के लोगों का लोकतंत्र में अडिग विश्वास और शान्ति एवं सदभाव बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम नौवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन लगभग 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत दर

से वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा का भण्डार निरन्तर बढ़ता रहा है और इस समय यह लगभग 19.5 बिलियन अमरीकी डालर है।

सरकार तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में उपयुक्त संशोधन किये जा रहे हैं। प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्य-प्रणालियों को सरल बनाया गया है। निवेशकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की गई है कि उनके साथ न्यायसंगत और समान व्यवहार किया जाएगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र निर्णय लिए जाएं और वे पारदर्शी हों। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का भी गठन किया गया है, जिससे विदेशी पूंजी सुचारू रूप से प्राप्त होती रहे। स्वत: अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची को व्यापक बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। हम एक वर्ष में कम से कम दस बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप बन सके। निक्षेपागारों की स्थापना करने और शेयर बाजारों का आधुनिकीकरण करने से संस्थागत निवेश जुटाने के लिए तेजी से समझौते होने की संभावना है। हम विदेशों से दीर्घावधिक पेंशन और बीमा निधियां जुटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। नई आधारिक संरचना विकास वित्त कंपनी बनाने से सक्षम बुनियादी आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। बिजली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पांच त्वरित विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी दी गई है। बिजली के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने, राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार देने, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने तथा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने हाल ही में विद्युत संचरण में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पत्तनों के मामले में निजी निवेश प्राप्त करने तथा 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वत: अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार में विस्तार करने से

भारत में राजमार्गों का आधुनिक रूप से विकास करने के कार्य को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। इससे भूमि का शीघ्र अधिग्रहण तथा सड़क-निर्माण में निजी निवेश हो सकेगा। सरकार ने पूर्वोत्तर जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी किए हैं।

अक्तूबर, 1996 में विस्तृत क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाने से खनन क्षेत्र के लिए भी विदेशी और भारतीय निवेश करने की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। सांविधिक दूरसंचार नियमन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सरकार लंबित मामलों को सुलझाकर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को कारगर बनाना चाहती है।

आगामी दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास में तेल और गैस नीति एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में सहायक होगी। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ने और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक तेल पूल का घाटा लगभग ₹15,500 करोड़ हो जाएगा। देश में तेल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि तेल पूल खाता संतुलित रहे। हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश करना होगा, ताकि इसमें और अधिक अन्वेषण एवं उत्पादन किया जा सके। हमें न केवल वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिए ही, बल्कि नए निवेशों की दृष्टि से भी पर्याप्त साधन जुटाने होंगे।

तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमें कृषि के क्षेत्र में भी उसी दर से उत्पादन बढ़ाना होगा। यह गरीबी दूर करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। वर्षा प्रधान, सूखा-संभावित और कम उपजाऊ भूमि पर कृषि विकास करना उच्च प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के शीघ्र एवं सतत विकास के लिए आधुनिक भूमि प्रबंध और जल-संरक्षण प्रणालियों को एक साथ मिलाकर जल-विभाजक विकास नीति अपनाना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। सरकार जल-विभाजक आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि इस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके, बेहतर तालमेल किया जा सके एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए शोध कार्य को बढ़ाना होगा। देश के बड़े भू-भाग में मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारे देश में टिशू कल्चर अनुसंधान से

वाणिज्यिकरण को गति मिली है, और यह प्रौद्योगिकी बंजर भूमि पर बागवानी और वनरोपण के लिए बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही है। संकर धान की किस्म से चावल की उत्पादकता और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बासमती संकर धान की एक किस्म तैयार कर रहा है। इससे अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वाणिज्यिक खेती के लिए चावल की पांच संकर किस्में निकाली जा चुकी हैं। इस प्रकार भारत विश्व में संकर धान का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक भी खोला गया है, जो विश्व के बड़े जीन बैंकों में से एक है। विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ खेतों तक पहुंचाने से संबंधित मुद्दों की व्यापक रूप में जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है।

हालांकि कृषि विकास के लिए सिंचाई पर सदैव अधिक ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण आधारिक संरचना में, विशेष रूप से सिंचाई और जल-विभाजक विकास में ऐसे ही परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष को सुदृढ़ बनाया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 'गंगा कल्याण' नामक एक नये कार्यक्रम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य को गति मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को भूमिगत जल एवं सतही जल के उपयोग की योजनाएं शुरू करने के लिए उदार आर्थिक सहायता, अनुरक्षण सहायता और ऋण सुविधा दी जाएगी।

एकीकृत जल संरक्षण एवं उपयोग योजना तैयार करने तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से पूरी करने के बारे में फालतू पानी का उपयोग करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है।

हमारे आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने, परिसंपत्तियों के सृजन, कार्यकुशलता में सुधार और बहुत अधिक निर्धन लोगों की आय बढ़ाने के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। गरीबी हटाने से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुगुना किया जाएगा।

रोजगार आश्वासन योजना और मध्याह्न भोजन योजना अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार स्व-रोजगार की योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन

कार्यक्रमों को पुनः कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम-से-कम दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी उसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है, जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई, 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए:

(1) प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना;

(2) पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना;

(3) सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिए उपाय करना;

(4) बेघर गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था करना;

(5) गांवों/बस्तियों को निकट के बाजार अथवा मुख्य सड़क तक संपर्क सड़कों से जोड़ना;

(6) गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर पोषाहार की व्यवस्था करना; तथा

(7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना।

राष्ट्रीय वचनबद्धता और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को 2216 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार

आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इन विकास कार्यक्रमों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेंगे, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मानदण्ड अपना सकेंगे।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों में अन्तर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना तथा उप-योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बढ़ाना है। सफाई कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेद-भाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार सभी कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसके संबंध में निर्माण कार्यों से जुड़े 90 लाख कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस वर्ष दो विधेयक पारित किए गए। हमने न्यूनतम मजदूरी तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सामूहिक अभियान चलाया है। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं काम करने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में शीघ्र पेश किया जा रहा है।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं, और राज्य सरकारों से शीघ्रातिशीघ्र ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय निगम स्थापित कर दिया गया है।

सरकार यह मानती है कि आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य में हमारा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण एवं विस्तार हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना का व्यापक रूप में नवीकरण किया जाए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष-स्तरीय ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर के क्रान्तिक स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत अग्रिम पंक्ति में है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता से हमारा देश आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गया है, और जियो-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे अपने कैमरों से भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्र विश्व में सर्वोत्तम हैं, और अब हम अंतरिक्ष से प्राप्त चित्र आदि विश्व के बाजारों में बेच रहे हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

सेना और अर्ध-सैनिक बलों के जवान और अधिकारी सिविल प्राधिकारियों को बहुमूल्य सहयोग देते रहे हैं। इसमें सीमा पार से अशान्ति फैलाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से करवाया जाना भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करना कठिन था, वहां राहत और बचाव मिशनों की सहायता करने में हमारी सशस्त्र सेनाओं का योगदान अनुकरणीय रहा है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करना सरकार की सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के प्रति सचेत है, और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अपने विद्यमान उपकरणों को निरन्तर उन्नत बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उच्च कोटि के शस्त्र प्राप्त करने से राष्ट्र की रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सुरक्षा प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। बहुमुखी मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे देश ने सेनाओं के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नौ सेना के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए

इसको उन्नत एवं सुसज्जित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष हल्का लड़ाकू वायुयान परियोजना के अपने उड़ान परीक्षणों में भी निरंतर प्रगति हो रही है।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमारी रचनात्मक और व्यावहारिक विदेश नीति के सकारात्मक परिणाम काफी हद तक सामने आ रहे हैं। हम उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से आपसी हित के संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। सार्क से वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा इस संघ को सुदृढ़ करने और इसके कार्यकलापों को व्यापक बनाने में निभाई गई सक्रिय भूमिका का बहुत स्वागत हुआ है।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की दिसम्बर, 1996 में की गई भारत की यात्रा के समय दोनों देशों द्वारा गंगा जल के दीर्घकालिक बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत और बंगलादेश के संबंधों में मित्रता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

इसी प्रकार, महाकाली संधि किए जाने के परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों को एक नई दिशा मिली है। इस संधि से जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं पैदा हुई हैं। भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच सहयोग का एक नया द्वार खुला है। इस यात्रा के समय विश्वास निर्माण उपायों के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये जाने का बहुत महत्व है, तथा इससे द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा है।

हम शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति समाप्त करने तथा सद्भावपूर्ण मैत्री और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।

अफगानिस्तान में निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रही अस्थिरता से भारत चिंतित है। विदेशी हस्तक्षेप को रोके बिना अफगान समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के एक मित्र और हितैषी के रूप में हमारी परम्परागत भूमिका को सभी जानते हैं, और हम उसके पीड़ित लोगों के लिए मानवीय आधार पर उसे सहायता देते रहेंगे।

जापान इस महीने के प्रारंभ में सम्पन्न हुए भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में मित्र देश के रूप में हिस्सा लेने वाला प्रथम एशियाई देश रहा। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। हम जापान के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ हमारे आपसी हितों के लिए बातचीत होती है, जो पिछले वर्ष नए स्तर पर पहुंची है। हमें विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कार्यकलापों में अपनी यथोचित भूमिका निभाएंगे।

अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्री, आपसी सूझ-बूझ और व्यापक सहयोग के संबंध बने रहेंगे। भारत ने मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है, और अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। हमें इसके शीघ्र पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इज़राइल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से उस देश के साथ हमारे तेजी से बढ़ रहे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को गति मिली है।

हमने रूस के साथ संबंधों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो निरन्तरता, विश्वास और आपसी सूझ-बूझ पर आधारित हैं।

हमें आशा है कि क्लिंटन प्रशासन के द्वितीय कार्यकाल के दौरान भी भारत-अमरीका संबंधों में निरन्तर वृद्धि होगी। भारत और अमरीका में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और दोनों ही एक-दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते आये हैं, तथा परस्पर लाभकारी संबंधों का विस्तृत आधार विकसित करने का महत्व स्वीकार करते हैं।

पश्चिम यूरोप के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिन्हें घनिष्ठ आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही हम लोकतंत्र के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है और वह भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। हम उसकी इस भावना का स्वागत करते हैं। उसके प्रति हमारी भी ऐसी ही भावना है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमारी वचनबद्धता बरकरार है, और भारत इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

विधायी कार्य से संबंधित तैंतीस विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ हैं, जिनमें लोकपाल विधेयक, 1996, दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के उपबंध से संबंधित

संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 शामिल हैं। सरकार वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है:–

(1) प्रसारण विधेयक, 1997;

(2) प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) संशोधन विधेयक, 1997;

(3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997;

(4) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997;

(5) बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, 1997;

(6) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1997; तथा

(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997

हम इस वर्ष अगस्त से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाठ मनाने जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा पर आधारित होने के कारण विश्व इतिहास में अद्वितीय था। आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, मानवाधिकार तथा धर्म-निरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारी इन नीतियों से स्वतंत्रता और आर्थिक विकास में तालमेल स्थापित हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी के महान नेता लोकतंत्र और स्थायित्व की कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

इस सदी के शेष चार वर्ष भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इसे पिछली उपलब्धियों के आधार पर और विकास करके एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आज भारत आशा और विश्वास के साथ 21वीं सदी में पदार्पण करने की तैयारी कर रहा है, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। विश्व में हमारा स्थान इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़ता और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं, अथवा अपनी परम्परागत सोच से बंधे रहते हैं। अगली सहस्त्राब्दि के आरम्भ में हम इन सभी बातों पर विचार करें और बुनियादी मुद्दों को सुलझाएं, ताकि हम अगली सदी के शुरू में ही विश्व के विशाल और विकसित देश के रूप में उभरने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

जय हिन्द।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा